न्यायाय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 33/2023
जीसीएमएस ऑनलाईन नंबर 2023/59

निर्णय दिनांक 26.09.2024

मनसुख पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसर बास, वार्ड नम्बर 30, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़।
2. सोनादेवी पत्नी स्व. काताराम जाति ओड निवासीगण आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. जीवराज पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. तेजाराम पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. नथूराम पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 स्वंय।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एल.आर.एक्ट।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 173 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खेत वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता काताराम की खातेदारी का खेत रहा है। वादी के पिता काताराम की मृत्यु दिनांक 14.09.2022 को हो गई। वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त खेत की खातेदारी वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वादी के पिता का नाम शुरू से ही काताराम पुत्र चूनाराम रहा है। वादी के पिता का नाम कभी भी कानाराम नहीं रहा है। वादी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद वादगत खेत में विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेत में वादी के पिता का नाम बिलकुल ही गलत रूप से कानाराम अंकित हो रखा है जबकि वादी के पिता का नाम शुरू से ही काताराम पुत्र चूनाराम रहा है। वादी ने वादगत खेत में विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के यहां आवेदन प्रस्तुत किया व वादी के पिता का नाम काताराम अंकित करने या कानाराम उर्फ काताराम अंकित करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि जो जैसा नाम खातेदारी में चला आ रहा है, हम तो वैसा ही नाम विरास्तन इन्तकाल में दर्ज करेंगे व प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासत इन्तकाल दर्ज कर वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम कानाराम अंकित कर दिया जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक काताराम अंकित होना चाहिए था क्योंकि वादी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पहचान पत्र में वादी के पिता का नाम कातारााम पुत्र चूनाराम अंकित है। वादी के पिता का नाम कभी भी कानाराम नहीं रहा है। वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में भी वादी के पिता का नाम सही नाम कातराम अंकित चला आ रहा है। वादी के पिता का नाम कभी भी कानाराम नहीं रहा है। वादी अपने पिता के सही नाम की घोषणा राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहता है जिसके लिए यह घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने दिनांक 31.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से खसरा नम्बर 173 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर में अपने पिता का सही नाम कातारााम अंकित कर दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने रिकार्ड में आपके पिता का नाम कानाराम अंकित चला आ रहा है इसलिए बिना किसी उचित आदेश के शुद्धिकरण करना संभव नहीं हैं, आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लाना होगा तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने पिता के सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा भी श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा नम्बर 173 रोही सालासर में वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम कानाराम गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने कावादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। यह है कि दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी के पिता का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खसरा भूमि के सहखातेदार गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान् जी को क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 173 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में कानाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम कातारााम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की घोषणा की जावे व उसकी प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो श्रीमान् दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे। खर्चा ... जी की कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:03 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकार
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

। के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्न तबल किया ।। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश या। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी । संक्षेप में प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा व स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 173 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ राजस्व रिकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम कातारात घोषित किया जाकर जस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार लना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया या। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मनसुख पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसर बास, वार्ड नम्बर 30, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़।
2. सोनादेवी पत्नी स्व. काताराम जाति ओड निवासीगण आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. जीवराज पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. तेजाराम पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. नथूराम पुत्र स्व. काताराम जाति ओड निवासी आडसरबास, वार्ड संख्या 30 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 33/2023
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 173 तादादी 6.3200 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में कानाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम काताराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)